

✓ सुगम से दुर्गम एवं दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों द्वारा दिये जाने वाले 10 ऐच्छिक स्थानों का प्रारूप-1

क्र०सं०	कर्मचारी कोड	नाम/पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	10 ऐच्छिक स्थान	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	10022063	शशि किरण तिवाडी	कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा	-	महोदय, प्रार्थी Chronic Lung Disorder ULD से ग्रसित है व मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा दुर्गम कार्यालय में ही कार्य करने हेतु इच्छुक है तथा वर्तमान में दिनांक 01.05.2026 को प्रार्थी की माता जी का भी निधन हुआ है, जिस हेतु प्रार्थी का एक वर्ष हेतु अल्मोड़ा में ही रहना अनिवार्य है। अतः प्रार्थी के गम्भीर रोग (मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अधीक्षक द्वारा प्रदत्त मेडिकल प्रमाण पत्र संलग्न) एवं पारिवारिक परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थी को वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा- 13 (4) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण से मुक्त करते हुए छूट प्रदान की जाय। महोदय मेरी पत्नी भी जनपद अल्मोड़ा में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत है, अतः प्रार्थी को वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा- 13 (3) के आधार पर दुर्गम क्षेत्र मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा कार्यालय में ही तैनाती देने की कृपा करें।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम- शशि किरण तिवाडी,

पदनाम- प्रशासनिक अधिकारी

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम- डी०एस० हयांकी,

पदनाम- मुख्य अभियन्ता